राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(16)वित्त/आब/2019 जयपुर, दिनांक: 09.10.2020

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के अन्तर्गत रिक्ति वर्ष 1993–94 एंव 1994–95 में सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के उपलब्ध रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति हेतु तत्समय विभाग में आबकारी निरीक्षक, प्रथम श्रेणी पद पर कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. की बैठक दिनांक 25.09.1993 एंव दिनांक 12.04.1994 को आयोजित की गई। तत्समय विद्यमान नियमों में किये गये प्रावधान अनुसार वरिष्ठता सह योग्यता(Seniority Cum Merit) एंव योग्यता (Merit) के आधार पर सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के पद पर पदोन्नति की गई। पदोन्नति हेतु की गई अनुशंषा के अनुसरण में श्री शिवदान सिंह भाटी को रिक्ति वर्ष 1994–95 में सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के पद पर पदोन्नत किये जाने के कारण श्री भाटी तत्कालीन आबकारी निरीक्षक, प्रथम श्रेणी द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3520/1994 दायर कर श्री भाटी द्वारा उन्हें सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के पद पर रिक्ति वर्ष 1994–95 के स्थान पर रिक्ति वर्ष 1993–94 में पदोन्नति करायी जाने की मांग की गई।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त एकल पीठ याचिका का निर्णय दिनांक 03.01.2017 पारित किया जाकर आदेशित किया गया कि श्री शिवदान सिंह भाटी के प्रकरण में रिव्यू डी.पी.सी. का आयोजन कर इन्हें एक सप्लीमेंन्ट्री पद सृजित कराते हुये वर्ष 1994–95 के स्थान पर वर्ष 1993–94 में सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता(Seniority Cum Merit) के आधार पर पदोन्नत किया जाकर नोशनल लाभ स्वीकृत कराया जावे।

राजस्थान सरकार की ओर से प्रकरण में डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 526/2017 दायर की गयी, जिसमें मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2018 के द्वारा उक्त निर्णय खारिज किया गया। दिनांक 22.02.2019 से वर्ष 1993–94 में एक छायापद सृजित किया जाकर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में वर्ष 1993–94 में श्री शिवदान सिंह भाटी को सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के छायापद पर पदोन्नत किया जाता है।

आज्ञा से,

(औंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव